



प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा -I) का कार्यालय, ओडिशा, भुवनेश्वर
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (Au-I)
ODISHA: BHUBANESWAR

ओओसी नं./ OOC No.415

दिनांक/ Date:13.08.2024

विषय: उच्च अध्ययन करने की अनुमति के संबंध में।

Sub: Permission to Pursue higher studies - reg.

सक्षम प्राधिकारी ने श्री राकेश कुमार चौधरी, स.लेप.अ. (पी)/ एएमजी-IV को 2024 शैक्षणिक सत्र के लिए इग्नू, जयपुर से दूरस्थ शिक्षा मोड के तहत अर्थशास्त्र में कला स्नातकोत्तर के लिए निम्नलिखित नियमों और शर्तों के तहत उच्च अध्ययन की अनुमति देते हुए प्रसन्न हैं:

- i) अध्ययन करने से उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
- ii) यदि वह अपनी परीक्षा के समय छुट्टी की पूर्व और उचित मंजूरी के बिना कार्यालय से अनुपस्थित रहता है, तो अनुमति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय वापस ली जा सकती है।
- iii) परीक्षा की तैयारी के आधार पर कोई छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाएगी।
- iv) अनुमति को सार्वजनिक सेवा की अत्यावश्यकताओं में दौरे या स्थानांतरण देनदारियों से छूट के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।
- v) सक्षम प्राधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी समय अनुमति रद्द/वापस लेने का विवेकाधिकार है।
- vi) कार्यालय उक्त परीक्षा में भाग लेने के लिए श्री राकेश कुमार चौधरी, स.लेप.अ.(पी) द्वारा किए गए यात्रा व्यय के प्रति कोई दायित्व नहीं लेगा।

Competent Authority is pleased to permit Shri Rakesh Kumar Choudhary, AAO(P)/ AMG-IV, to pursue the higher study in Master of Arts (Economics) in distance learning mode under IGNOU Jaipur from 2024 academic session under the following terms and conditions:

- i) Pursuit of study should not adversely affect his performance of official duties.
- ii) The permission may be withdrawn at any time without assigning any reasons, if he remains absent from office without prior and proper sanction of leave at the time of his examination.
- iii) No leave will be sanctioned on the ground of preparation for examination.
- iv) The permission should not be construed as exemption from tour or transfer liabilities in the exigencies of public service.

- v) The competent authority has the discretion to cancel/ withdraw the permission at any point of time without assigning any reason.
- vi) The office will not take any liability towards travelling expenses incurred by Shri Rakesh Kumar Choudhary, AAO (P) for attending the said examination(s).

हस्ता/-

वरि.लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशा(लेप-I)
Sr. Audit Officer/Admn (Audit-I)

Memo No. Admn(Audit-I)/15-07/HQ/Vol-VIII/1406

Date:13.08.2024

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित:

Copy forwarded for information and necessary action to:

- (1) Secretary to the AG (Audit-I), Odisha.
- (2) Service Book Seat
- (3) Officer / Official concerned.
- (4) OOC Guard file/Spare.
- (5) AAO/ DA & RC to upload this information in the official website.
- (6) Sr. AO/ Coord. AMG-IV.

समीर पट्टा
13/08/2024

वरि.लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशा(लेप-I)
Sr. Audit Officer/Admn (Audit-I)